(भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ)

फा.सं.9-5/2001-यू3(ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

यू.3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 15 जनवरी, 2016

अधिसूचना

जैसेकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श पर उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

2. **और जैसेकि,** केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस) को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा (नवीन श्रेणी के अंतर्गत) प्रदान किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. **और जैसेकि,** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सहायता से उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की थी और आयोग ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 2015 के पत्र सं.24-1/2012 (सीपीपी-I) और बाद में 7 अक्टूबर 2015 और 23 दिसम्बर, 2015 के समसंख्यक स्पष्टीकरणों के अंतर्गत केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलाम्सर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत नवीन श्रेणी के अंतर्गत 05 वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए 'समवत विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है;

संजय

4. अत:, केन्द्र सरकार, यूजीसी के परामर्श से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा घोषित करती है कि केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलाम्सर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीन श्रेणी के अंतर्गत उस तारीख से, जब से सीआईबीएस अपने पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और तिब्बतन औषध एवं ज्योतिष विभाग, धर्मशाला से अपनी संबद्धता समाप्त करता है, अनंतिम रूप से 'समवत विश्वविद्यालय' होगा। सीआईबीएस की समवत

विश्वविद्यालय के रूप में घोषणा की पुष्टि यूजीसी विशेषज्ञ समिति(यों) की पांच क्रमिक वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर, पांच वर्ष बाद की जाएगी।

5. पैरा 4 में की गई घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

I. यूजीसी विनियम (समवत विश्वविद्यालय संस्था) 2010, जिन्हें वर्ष 2014 और 2015 में संशोधित किया गया था और उसमें आगे किए गए संशोधन तथा यूजीसी के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश सीआईबीएस पर बाध्यकारी होंगे।

II. उपर्युक्त 5(I) में किसी बात के होते हुए घोषणा आगे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

(क) सीआईबीएस अपने संगम ज्ञापन (एमओए)/नियमावली को, जहां भी आवश्यक हो, यूजीसी/भारत सरकार के परामर्श और सहमति से संशोधित/अद्यतन कर सकेगा। केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस) भी भारत सरकार या यूजीसी द्वारा सुझाए गए संशोधनों/सुधारों, यदि कोई हों, को अपने संगम ज्ञापन (एमओए) में कर सकेगा।

(ख) सीआईबीएस किन्हीं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन नहीं करेगा।

(ग) सीआईबीएस यूजीसी और भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना परिसर के बाहर/ परिसर में नए विभाग(गों) को नहीं खोल सकेगा या संचालित कर सकेगा।

(घ) सीआईबीएस को किसी कॉलेज(जों)/संस्थान(नों) को संबद्ध करने की भी अनुमति नहीं है।

(ङ) सीआईबीएस उच्च शिक्षा की फ्रैंचाइज़ी नहीं चलाएगा जिसकी किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं है।

(च) सीआईबीएस द्वारा संचालित किए जा रहे या संचालित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम संगत सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों के अनुरूप होंगे। संजय

(छ) सीआईबीएस, किन्हीं डिग्रियों जो यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, जैसा भी मामला हो, को प्रदान नहीं करेगा। सीआईबीएस यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियां आदि के नाम यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अंतर्गत यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों।

(ज) छात्रों के प्रवेश, छात्रों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों की शुरूआत करने, पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का नवीकरण आदि के मामलों से संबंधित संगत सांविधिक परिषदों और अन्य प्राधिकरणों के सभी निर्धारित मानक और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और सीआईबीएस द्वारा इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता रहेगा।

(झ) सीआईबीएस, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शायी गई टिप्पणियों और सुझावों, यदि कोई हों तो, का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

प्रवीण कुमार

(प्रवीण कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को इस अनुरोध के साथ कि यूजीसी द्वारा सीआईबीएस की पांच वर्षों तक वार्षिक समीक्षा की जाए ताकि उसके आधार पर समवत विश्वविद्यालय के रूप में इसकी घोषणा की पुष्टि की जा सके।

3. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य सरकार, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर, कश्मीर।

4. कुलपति, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोलगाम्सर, लेह (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर। इस अधिसूचना के पैरा 4 में की गई घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी कि:-

5. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.

7. संयुक्त निदेशक (योजना) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सीएमआईएस यूनिट को आवश्यक निदेश जारी करने एवं इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अनुरोध के साथ।

8. गार्ड फाइल / अधिसूचना फाइल।

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)

निदेशक

सी.एम.आई.एस. (ओ.प्र.)

16.02.2016